

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कौचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 21 सन 2022

अनवान :-

1. कौशलया पुत्री मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 138

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 22/03/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 138 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 7/2 की कमूल 3.795हैक एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुशीला उर्फ धापा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कौशलया पुत्री मोहनलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कौशलया पुत्री मोहनलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 7/2 की कमूल 3.795हैक एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक भूमि में प्रार्थी का नाम सुशीला उर्फ धापा के स्थान पर कौशलया उर्फ धापा संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से परोकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतो के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 7/2 की कमूल 3.795हैक एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण सुशीला उर्फ धापा दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कौशल्या पुत्री मोहनलाल है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कौशल्या पुत्री मोहनलाल दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।


पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थी ने रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 7/2 की कमूल 3.795हैक् एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् भूमि खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम सुशीला उर्फ धापा दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम कौशल्या पुत्री मोहनलाल है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कौशल्या पुत्री मोहनलाल दर्ज है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार के द्वारा ऐतराज नहीं के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 7/2 की कमूल 3.795हैक् एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670हैक् एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम सुशीला उर्फ धापा दर्ज है के स्थान पर कौशल्या उर्फ धापा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपन अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाबता दाखिल दफ्त हो ।

निर्णय आज दिनांक ~~22/3/22~~ को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गय


उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 21/2022 अनवानी कौशल्या बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रश्न :- अनवान :-

1. कौशल्या पुत्री मोहनलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 21/2022 अनवानी कौशल्या बनाम सरकार में दिनांक 22/03/22 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा दीपलाना के खाता संख्या 7/2 की कमुल 3.795 हैक् एवं रोही मौजा चक 12 बारानी के खाता संख्या 48/48 की कुल 9.8670 हैक् एवं रोही मौजा चक 22 डीपीएन के खाता संख्या 23/20 की कुल 14.2820 हैक् भूमि में प्रार्थी का नाम सुशीला उर्फ धापा दर्ज है के स्थान पर कौशल्या उर्फ धापा संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
नोहर (हनुमानगढ)
नोहर